

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० कानपुर द्वारा जनपद-फतेहपुर के अंतर्गत फतेहपुर-जोनिहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी० स्टोन सं०-14.200 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा संख्या-1502, ग्राम-असवार तारापुर, परगना-फतेहपुर, तहसील-फतेहपुर, जिला-फतेहपुर में रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्ग मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.08047 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/अप्रोच/48833/2020)

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के

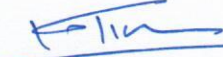
शासनादेश-पी-03/81-2-2021-800(18)/2021 दिनांक-02 मार्च

फरवरी, 2021 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत ।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

02.03.2021

हस्ताक्षर

()
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर
(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।